International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

जन्म सम्बन्धी मान्यताएँ : आदी जनजाति के विशेष संदर्भ में'

टोकपेट पेर्टिन

असिस्टेंट प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश 791103

प्रस्तावना:

मनोरम भूमि अरुणाचल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण प्रदेश है। यह 83,743 वर्ग कि. मी. के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके पश्चिम दिशा में भूटान, उत्तर में तिब्बत, पूर्व में म्यांमार तथा दक्षिण में असम राज्य है। इसकी कुल आबादी लगभग 13 लाख है। 'मिथुन' अरुणाचल का राजकीय जानवर है। यह अरुणाचल के लोगों के लिए प्रतिष्ठा और वैभव का प्रतिक है। आदी जनजाति अरुणाचल की मुख्य जनजातियों में से एक है। इस जनजाति के लोग अपर सियांग, सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली और नमसाई जैसे कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। इनकी उपजनजातियों में पादाम, मिन्योंग, पासी, पांगी, कारको, सीमोंङ, बोरी, बोकार, रामो, तांङगाम, मिलांग, आशिंग, दालबिंग, पाई-लिबो इत्यादि हैं। इनकी बोलियाँ, जीवन व्यवहार एवं वेश-भूषाएँ निम्न अंतरों के साथ लगभग समान हैं। आदी समाज कृषि प्रधान समाज है। इस समाज की सामाजिक गतिविधियां अधिकतर कृषि से ही संबन्धित है। इनके लोग खुश-मिजाज एवं शिकार प्रेमी होते हैं साथ ही साथ महिलाएं खेती करने के अलावा कपड़े बुनने का भी काम लग्न के साथ करती हैं। वे गाले (स्थानीय मेखला जिसे स्त्रीयां पहनती है), गालुक (स्थानीय कमीज एवं कोट जिसे स्त्री एवं पुरुष पहनते हैं) एवं बादू (स्थानीय कंबल) की बुनाई कुशलतापूर्वक करते हैं।

अन्य जनजातीय समाज की तरह आदी जनजाति में भी परिवार ही सबसे छोटी इकाई होती है, जिसमें- पिता, माता, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, तथा नाती-पोते जैसे सम्बन्ध होते हैं। इस समाज में बच्चे का जन्म विवाहित जीवन की सफलता की निशानी मानी जाती है। आदी समाज में भी अन्य जनजातीय समाज की तरह बच्चे के जन्म से संबन्धित विभिन्न मान्यताएं हैं। अन्य समाज की तरह इनकी भी मान्यताएं संस्कार रूप में इनके संस्कार में भी विद्‌यमान है। यह सब बच्चे के गर्भ में होने से लेकर उसके जन्म के कुछ वर्ष तक देखा जाता है। गर्भावस्था के दौरान खान-पान में निषेध तथा कुछ कार्यों में निषेध आदि को भी देखा गया है।

शोध प्राविधि :

प्रस्तुत शोध को सम्पन्न करने हेतु मैंने निम्नलिखित प्राविधियों को अपनाया है।

(1) इस शोध कार्य के लिए मैंने साक्षात्कार प्रणाली को अपनाया है। इस शोध से सम्बंधित तथ्यों को एकत्रित करने के लिए मैंने उन व्यक्तियों से साक्षात्कार किया है जो आदी समाज की रीती-रिवाज के जानकार रखते है । साक्षात्कार के दौरान मैंने उनसे इस शोध के केंद्रबिंदु में आने वाली लोकोक्तियों पर जानकारी प्राप्त किया है। उन व्यक्तियों का नाम है -

(क) श्रीमती नेकाक पेर्टिन, गाँव- बोमजीर, जिला ईस्ट सियाँग, अरुणाचल प्रदेश ।

(ख) श्री टेम्मीन रिपूक, गाँव मेबो, जिला ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश।

(2) इस शोध के दौरान मैंने उन पुस्तकों का संकलन किया है जो समय- समय पर आदी जनजाति तथा अरुणाचल के जनजातियों पर प्रकाशित हुआ है। इन पुस्तकों से मुझे अरुणाचल कि संस्कृति, परम्परा तथा आदी समाज से सम्बंधित तमाम विषयों की जानकारी प्राप्त हुआ है।

आदी समाज के गर्भावस्था से संबन्धित मान्यताएं निम्नवत है-

(क) गर्भावस्था के दौरान वर्जित कार्य -

किसी भी स्त्री के लिए गर्भवती होना सम्मान और गर्व का विषय है। यह स्त्री के लिए ईश्वर की वरदान मानी जाती है। आदी समाज में गर्भवती स्त्री बच्चे के जन्म तक अपना दैनिक कार्य करती रहती है। वे अपने परिजनों की देखभाल करती हुई घर को सम्पूर्ण रूप से
संभालती है। जनजातिय मान्यताओं के आधार पर आदी समाज में गर्भवती स्त्रीयों के खान-पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा कुछ कार्यों को करने के लिए मना किया जाता है । जैसे -

1. गर्भवती स्त्री को पेरिक (जंगली मुर्गी) का सेवन निषेध है। आदी जनजाती के लोग यह मानते है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री अगर पेरिक का सेवन करती है तो शिशु के बदन पर लाल धब्बा होने की सम्भावना रहती है।
2. गर्भवती स्त्री को एङे अन्ने (कच्चू का पत्ता) से पानी पीना भी निषेध हैं, क्योंकि आदी समाज का मानना है कि कच्चू के पत्ते से पानी पीने पर शिशु को आँखों में जन्म दोष हो सकता है।
3. गर्भवती स्त्री को स्वयं से गिरे केले का भी सेवन निषेध है। क्योंकि इससे गर्भवती स्त्री को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है ।
4. गर्भावस्था के समय गर्भवती स्त्री को साँप, मेढक को मारना भी निषेध है। क्योंकि इस जनजाति लोग यह मानते है कि साँप को मारने से शिशु का भी साँप की जीभ की तरह बाहर निकलता रहेगा। मेढक को मारने से इस समाज की मान्यता है कि शिशु का अंग भी मेढक की तरह वक्र हो सकता है।

5. गर्भवस्था के दौरान दोनों माता-पिता को हरा बाँस को जलाना भी निषेध है। क्योंकि हरा बाँस को जलाने पर शिशु के त्वचा में काले दाग- धब्बे पड़ने की सम्भावना अधिक हो जाती है।
6. गर्भावस्था के दौरान भावी पिता को तीर-धनुष बनाना भी निषेध है, क्योंकि इससे हर शिशु के ओष्ठों में फाँक होने की आशंका रहती है।
7. गर्भावस्था के दौरान भावी पिता को पेड़-पौधे लगाना और कुछ खुदाई करने में भी निषेध होता है। क्योंकि इससे शिशु के प्राकृतिक विकास में अवरोध हो सकता है।
8. आदी समाज में जवान युवतियों को जुड़े हुए फल खाने पर भी निषेध है। क्योंकि इस समाज के लोग यह मानते हैं कि जुड़े हुए फल खाने से भविष्य में युवती के विवाह के पश्चात जुड़े हुए बच्चे अथवा जुड़वा बच्चे जन्म देने की सम्भावना रहती है। इस समाज के लोगों की मान्यताओं के आधार पर जुड़वा अथवा जुड़ा हुआ बच्चा जन्मना समाज में अप्रिय तथा अनहोनी के रूप में माना जाता है। परन्तु वर्तमान समाज में यह धारणा बदल रही है।

(ख) बच्चे जनने का प्रक्रिया और उससे संबन्धित मान्यताएँ -

प्राचीन समय से ही जनजातीय समाज की स्त्रीयां अपने घरों में ही बच्चे को जन्म देती थी। ऐसी स्थिति में जब गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा आरम्भ होती है तो गाँव के धाई को या पड़ोस के तजुर्बेदार महिला को ओकी बोनाम (प्रसव सहायक) के लिए बुलाया जाता है। आदी समाज में पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री अपने बच्चे का जन्म घर के रिसींग (उत्तर दिशा) में देती हैं। क्योंकि इस समाज के विश्वास के अनुसार घर का यह अंग सबसे पवित्र माना जाता है। इस प्रकार धाई की सहायता से स्त्री स्वयं स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। परंतु कभी-कभी यह भी देखा गया है कि प्रसव के दौरान अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मिरी (पुजारी) को बुलाया जाता है और गर्भवती स्त्री के नाम से कुछ देखने देते है। आदी समाज में प्रसव का अटकना कुछ अप्राकृतिक ताकत (न्यीपोंग) के कारण से माना जाता है। अत: मिरी (पुजारी) के कहे अनुसार घरवाले सुअर, कुत्ता या मुर्गी, विशेषत: काले रंग के जीवों की बलि देते हैं। इस प्रकार प्रसव का अटकना कभी-कभी गर्भवती स्त्री के लिए जानलेवा भी हो जाता है। सफलतापूर्वक प्रसव वेदना के तुरंत बाद बच्चे के नाभि को सूती के धागे से बांध दिया जाता है और उसे बाँस के धारधार औजार से काट दिया जाता हैं। नाभि काटने के पश्चात बच्चे को गुनगुने पानी से धो दिया जाता है। तत्पश्चात बच्चे के हाथ और पाँव के कलाइयों में सफ़ेद सूती का धागा (लेजिन-लाक्जिन) बाँध दिया जाता है। इस समाज के लोगों का मानना है कि यह धागा बच्चे को बुरी ताकतों से बचाव रखता है। इसके बाद बच्चे के गले में उसके दादा-दादी व नाना-नानी द्वारा कोदांङ गिनपाक (जनजातिय

माला) बाँध दिया जाता है। इस समाज में यह भी मान्यता है कि कोदांङ गिनपाक का रिवाज उयू (दुष्ट आत्मा) से पहले जन्मजात शिशु पर पारिवारिक अधिकार पाना है।

(ग) नामकरण संबंधी रिवाज एवं मान्यताएँ -

आदी समाज में बच्चे के जन्म के बाद नामकरण से संबन्धित कुछ भिन्न मान्यताएँ दिखाई तो नहीं देती हैं। बच्चे के जन्म के तुरन्त बाद घर के बड़े बुजुर्ग और आस-पास के बड़े लोग तथा रिश्ते-नाते बच्चे का नाम रख देते हैं। प्राचीन समय में बच्चे का नामकरण पिता के शब्दांश से रखा जाता था। जैसे पिता का नाम तोमी होने पर बेटा का नाम मीबोम और बेटी का नाम मीनाम रखा जाता था। आधुनिक युग तक आते-आते यह प्रचलन अब समाप्त सी हो गयी है। आधुनिक समय में यह समाज अपने बच्चे का नामकरण अवसर एवं घटना के आधार पर रखने लगा है। शारीरिक रूप के आधार पर, किसी घटना के आधार पर, अवसर के आधार पर तथा माता-पिता के मनोभाव के आधार पर नामकरण होने लगा है। आदी समाज की बच्चे के नामकरण का आधार दृष्टव्य है-

(I) शारीरिक रूप के आधार पर -

आदी समाज में बच्चे का रंग-रूप एवं शारीरिक आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे 'मिमुम' अर्थात खूबसूरत। यह नाम विशेषत: लड़की के लिए प्रयोग की जाती है। ख़ूबसूरत लड़के के लिए 'यामेंग' नाम दिया जाता है। इसका अर्थ सुंदर लड़का होता है।

(ii) घटना प्रधान नामकरण -

इस समाज के लोग अपने बच्चों का नाम किसी घटना के आधार पर रखते है। अर्थात बच्चे के जन्म के समय कोई घटना घटती है तो वे अपने बच्चे का नामकरण उसी अनुसार रख देते है। जैसे चाइना नाम किसी लड़के के लिए रखा जाता है। यानि जो बच्चा 1972 के चाइना आक्रमण के दौरान जन्म हुआ हो तो उसका नाम चाइना रख देते है। यह नाम विशेषत: लड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है।

(iii) अवसर के आधार पर -

आदी समाज में अवसर के आधार पर भी अपने बच्चे का नामकरण किया जाता है। जैसे कोई बच्चा सोलुंग त्योहार (आदी जनजाति का त्योहार) के अवसर पर जन्म हुआ हो तो उसका नाम सोलुंग रख देते है। यह नाम दोनों लिंगों के लिए उपयुक्त होता है।

(iv) माता-पिता के मनोभावों के आधार पर -

अपने भावी बच्चे को लेकर माता-पिता की मनोकामना के आधार पर भी बच्चे का नामकरण किया जाता है। जैसे लड़की बच्ची की कामना करने वाले माता-पिता को लड़की की प्राप्ति होती है तो बच्ची का नाम मीनाम (चाहत) रख देते है। अर्थात बच्ची के माता-पिता को उनके मनोकामना अनुसार लड़की बच्ची की

प्राप्ति हुई है। लड़के बच्चे का मनोकामना करने वाले को जब लड़का प्राप्त होता है तो वे उसे कालिंग, मीबोम नाम देते हैं, अर्थात् जिसका जन्म का इंतज़ार माता-पिता और परिवारवाले कर रहे थे।

(घ) जन्म से संबन्धित रिवाज एवं मान्यताएँ -

बच्चे का जन्म पारिवारिक हर्ष का कारण होता हैं। आदी समाज में बच्चे के जन्म के बाद कुछ रिवाजों का पालन किया जाता है। 'डीलूम' इसी प्रकार का एक रिवाज़ , जिसमें थोड़ी सी चावल को बिना दक्कन लगाए पकाते हैं और उसे नवजात शिशु के माता को खिलाया जाता है। इस प्रकार के रिवाज के दौरान नवजात शिशु को छोटे से बच्चे, उम्र लगभग पाँच-छह वर्ष के पीठ पर लाद दिया जाता है। नवजात शिशु का लड़का होने पर वह छोटा सा बच्चा नवजात शिशु को अपने पीठ पर लादकर, तीर-कमान का प्रयास करता है। वही अगर लड़की हुई तो वह छोटा सा बच्चा नवजात शिशु को अपने पीठ पर लादकर कुदाली से जाड़ साफ करने का प्रयास करता है। इस प्रकार जन्म से ही आदी समाज में स्त्री-पुरुष के मध्य कार्य विभाजन को भी देखा जा सकता है।

बच्चे का जन्म सम्बन्धी रिवाजों में समय का भी बड़ा महत्व है। बच्चे का जन्म सुबह के समय होता है तो जन्म देने वाली माता अपने साथ माकसोंङ सुम्पा (बुनाई का औज़ार) को ले जाकर गाँव के बुजुर्ग महिलाओं के साथ आसपास के नदी या झड़ने में शुद्धि के लिए जाते हैं। इस रिवाज को 'ब्यातबों गीनाम' कहते हैं। इस रिवाज में झरने के किनारे एक बड़ा सा समतल पत्थर पर साथ चल रही महिलाएं नवजात शिशु के माता की गंदे कपड़े को धो देते हैं। झरने के किनारे डीलूम में पकाया गया बुड्को (चूहा) के सर को टाकू (बाँस से बनाया गया औज़ार) के सिरे पर बाँध दिया जाता है और दूसरे सिरे पर अदरक बाँध दिया जाता है। तत्पश्चात उसे तीन पत्थरों के साथ रख दिया जाता है और उसके ऊपर एन्नोक ताके (अदरक और चावल से बने मदिरा का मिश्रण) छिड़क दिया जाता है। ऐसे रिवाज से इस समाज के लोगों का मानना है कि वे उक्त स्थान की शुद्धी करते हैं। स्थान की शुद्धी के पश्चात वे झरने से एक छोटा सा पत्थर उठाकर उसे नवजात शिशु के तलवों पर रगड़ देते हैं । आदी समाज का मानना है कि इस तरह पत्थर रगड़ने से बच्चे के तलवे भविष्य में कभी नहीं फटेंगे।

बच्चे का जन्म शाम के समय होने पर 'ब्यातबों गीनाम' रिवाज अगले दिन सम्पन्न किया जाता है। और उसी शाम को ब्यातबों आरान (बच्चे की जन्म संबंधी दावत) किया जाता है। जिसमें नवजात शिशु की माता-पिता के दोनों परिवार और अन्य करीबी रिश्तेदार शामिल होते है। इस प्रकार के रिवाज में रिश्तेदार टोकरी भर चावल, मदिरा एवं मुर्गी देते हैं तथा माता और बच्चे की कुशल मंगल की कामना करते हैं। ऐसे रिवाज को इस समाज के लोग 'ओबो कानाम' कहते है। ब्यातबों आरान के समय ही शिशु के कान भी छेद कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सेही के काँटे से सम्पन्न किया जाता है जिसे न्योरुंङ ईनाम (कान

की छेदी) कहा जाता है। कान को छेद करने के पश्चात उसमें सूती का दागा डाल दिया जाता है। छेद सही तरीके से हो जाने पर दागा को हटाया जाता है और टोन-टेकबाङ (स्वेद जनजातीय बाली) पहना दिया जाता है। परंतु यह रिवाज आधुनिक समय में समाप्त सी हो गयी है। इसी रिवाज के दौरान शिशु के बाल भी काट दिये जाते है। जब शिशु पूरे एक साल का हो जाता है तो उसे ओजिंग दुकरिक (प्रथम जन्म दिवस) कहा जाता है। प्रथम जन्म दिवस के लिए आदी समाज में विशेष रूप से कोई दावत नहीं दिया जाता । परन्तु आधुनिक समय में इस समाज में भी यह दिन ही सबसे महत्वपूर्ण देखा गया है। आधुनिक पीढ़ी पुराने रीति रिवाजों को त्यागकर जन्म दिवस को ही धूमधाम से मनाने लग गया है।

(ङ) जन्म से संबन्धित वर्जित मान्यताएँ -

बच्चे के जन्म के उपरांत माता-पिता एवं परिवार वालों को खान-पान एवं कुछ गतिविधियों में वर्जित होती है। जैसे खान-पान की वस्तुओं में - हरी मिर्च एवं शाक-सब्जियों को जलाकर खाने पर रोक होती है। क्योंकि वे मानते हैं कि जला हुआ खाने से नवजात शिशु के माता की स्तन को सूखा देती है। जिसके कारण शिशु के लिए माता का दूध अनुपलब्ध हो सकता है। नवजात शिशु के माता के साथ-साथ अन्य घर के सदस्यों को भी एंगीन-एङ्गे (कंद-मूल) खाने से वर्जित किया जाता है। इनका मानना है कि कंद-मूल खाने से शिशु को जलवृष्ण की समस्या हो सकती है। शिशु के जन्म के बाद पूरे घर में एन्नों सिप्याक (सुते से बुनाई-कढ़ाई) भी वर्जित होती है। शिशु के जन्म के तीसरे या पाँचवे दिन में एराङ आबो (पारिवारिक दावत) किया जाता है जिसमें चावल को पत्ते में बाँधकर उसे कुछ मीट एवं अपोंग (स्थानीय मदिरा) के साथ रिशतेदारों में बाँट दिया जाता है। आदी जनजाति के पादाम वर्ग में इस प्रकार के रिवाज में जीव-जंतुओं को मारना वर्जित है। जीव-जंतुओं को मारने से उनका मानना है कि शिशु की माता को अगली बार गर्भवती होने में अवरोध हो सकती है।

इस प्रकार आदी समाज में गर्भ से लेकर जन्म तक के अलग-अलग संस्कार और मान्यताएँ हैं। यह समाज आज भी अपनी परंपरागत मान्यताओं को कुछ बदलाव के साथ पालन करते हैं। आधुनिक समय में हरेक जिलों पर अस्पतालों की सुविधा आ जाने से घर में बच्चे जन्मना अब लगभग समाप्त सा हो गया है। परंतु आदि समाज के लोग जन्म संबंधी अपनी मान्यताओं को उसी रूप में आज भी पालन कर रहे हैं। बच्चे के जन्म संबंधी मान्यताओं से आदी जनजाति की विख्यात सांस्कृतिक धरोहर का ही ज्ञात होता है। वर्तमान में आधुनिकरण की चमक-दमक ने इनकी विश्वासों एवं मान्यताओं को थोड़ी बहुत फीका जरूर कर दिया है, परंतु पूरी तरह इसे मिटा नहीं पाया है। आदी समाज अपनी पहचान एवं सांस्कृतिक महत्व को आज भी बरकरार रखा हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. भारत का प्रहरी : डॉ. सत्यादेव झा।
2. सोसीओ-कल्चर एंड स्पिरिचुवेल ट्रेडिसन ऑफ अरुणाचल प्रदेश : स. कालिंग बोरांग ।
3. पूर्वोत्तर राज्यों का लोक-साहित्य : डॉ. दिनेश प्रताप सिंह।
4. अरुणाचल के त्योहार : डॉ. धर्मराज सिंह ।
5. व्यक्तिगत साक्षात्कार -

- श्रीमती नेकाक पेर्टिन , गाँव - बोमजीर, जिला- लोअर दिबांग वैलि, अरुणाचल प्रदेश ।
- श्री टेम्मीन रिपूक, गाँव - मेबो, जिला- ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश ।